UPVR010056062026
& UPVR010062782026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
कोर्ट संख्या–02, वाराणसी।

उपस्थितः– रचना सिंह (एच 0 जे0 एस 0)
(जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0–1644)

UPVR010056062026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1852 सन् 2026

1. **रवि सिंह** पुत्र कमलेश कुमार सिंह,
2. **अमर सिंह उर्फ टमाटर** पुत्र लक्ष्मी सिंह,
3. **महेन्द्र सिंह** पुत्र लक्ष्मी सिंह

––––––––––समस्त निवासीगण ग्राम शहाबुद्दीनपुर, (चमांव), थाना शिवपुर, जिला वाराणसी।

.............आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.............अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०–226/2026
धारा–115(2), 191(2), 352, 351(3), 109(1) बी०एन०एस०
थाना–शिवपुर, जिला–वाराणसी।

UPVR010062782026

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2179 सन् 2026

1. **रवि सिंह** पुत्र कमलेश कुमार सिंह,
2. **अमर सिंह उर्फ टमाटर** पुत्र लक्ष्मी सिंह,
3. **महेन्द्र सिंह** पुत्र लक्ष्मी सिंह

––––––––––समस्त निवासीगण ग्राम शहाबुद्दीनपुर, (चमांव), थाना शिवपुर, जिला वाराणसी।

.............आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.............अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०–226/2026
धारा–3(5) बी०एन०एस०
थाना–शिवपुर, जिला–वाराणसी।

Digitally signed by Rachana Singh
Date: 2026.06.30 14:28:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>दिनांक–30.06.2026</u>

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **1. रवि सिंह** पुत्र कमलेश कुमार सिंह, **2. अमर सिंह उर्फ टमाटर** पुत्र लक्ष्मी सिंह तथा **3. महेन्द्र सिंह** पुत्र लक्ष्मी सिंह, समस्त निवासीगण ग्राम शहाबुद्दीनपुर, (चमांव), थाना शिवपुर, जिला वाराणसी की ओर से अपराध संख्या 226/2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 191(2), 352, 351(3), 109(1) बी०एन०एस० तथा धारा–3(5) बी०एन०एस० थाना शिवपुर, जनपद–वाराणसी में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1852 सन् 2026 तथा द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2179 सन् 2026 अभियुक्तगण **1. रवि सिंह** पुत्र कमलेश कुमार सिंह, **2. अमर सिंह उर्फ टमाटर** पुत्र लक्ष्मी सिंह तथा **3. महेन्द्र सिंह** पुत्र लक्ष्मी सिंह द्वारा एक ही मु.अ.सं. 226/2026 में दाखिल किये गये हैं। पूर्व में जमानत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1852 सन् 2026 अन्तर्गत धारा 115(2), 191(2), 352, 351(3), 109(1) बी०एन०एस० दाखिल किया गया था, दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा–3(5) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गई है। चूंकि दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या तथा एक ही अभियुक्त से सम्बन्धित हैं। अतः उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जाना उचित है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24/5/26 को लगभग 10.30 सुबह में अपनी जमीन आराजी 167 चमाव, तरना, शहबाद्दीनपुर, थाना शिवपुर वाराणसी पर सायंकाल के बाटी–चोखा का कार्यक्रम रखने हेतु कुछ मित्रों के साथ गया था और पानी छाया कि व्यवस्था हेतु सामग्री जुटा रहा था, तभी उसी गाँव के कुछ मनबढ़–दबंग प्रवृति के लोग क्रमशः – भुआल सिंह पुत्र अज्ञात, रवि और अनिल सिंह पुत्रगढ़ कमलेश सिंह निवासीगढ़ चमाव, तरना थाना शिवपुर वाराणसी वहाँ से गुजरते वक्त प्रार्थी से यहाँ आने का कारण पूछा व पार्टी में स्वयं को आमन्त्रित करने की बात कही, तब प्रार्थी ने बोला कि यह हम लोगों की आपसी पार्टी है, आप लोगों को अन्य दिन पार्टी किया जाएगा, यह कहते हुए मना कर दिया, जिससे सभी विपक्षगण आग–बबूला होते हुए जबरन हमारे जमीन में घुस आए और माँ–बहन की गाली देते हुए कहने लगे कि हमारे क्षेत्र में जमीन लेकर हमे ना कहने को हिममत कैसे हुई। यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। तुमको किसी तरह की पार्टी नहीं करना है। जब प्रार्थी व प्रार्थी के मित्र श्रीनाथ मिश्रा ने विपक्षी का विरोध किया तो सभी विपक्षी एक राय होकर के जान से मारने के आशय से 5–6 अन्य अज्ञात लोगों के साथ लोहे के राड, फरसा से बुरी तरह मारने पिटने लगे, जिससे प्रार्थी का मित्र श्रीनाथ मिश्रा का सर फट गया व वही लहुलुहान होते हुए बेहोश होकर गिर गए। विपक्षी जाते हुए कहने लगे कि आज एक मरा है, अगर दुबारा इस क्षेत्र में दिखाई दिए तो तुमको भी जान से मार देंगे व बोटी–बोटी काट के इसी फरसे से जमीन में गाड़ देंगे, अतः उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1852/2026 में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीगण उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त हैं और उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस अभियोग के सम्बन्ध में कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लम्बित है। प्रार्थीगण को प्रस्तुत अभियोग में रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कोई भी अपराध कारित नही किया गया है। वादी द्वारा प्रार्थीगण को

मात्र परेशान करने एवं उसकी प्रतिष्ठा को क्षति कारित करने की नियत से झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा सत्य तथ्यों को छिपाते हुए जमीनी विवाद के कारण यह अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सत्यता यह है कि कमलेश कुमार सिंह पुत्र स्व० वंशराज सिंह निवासी ग्राम चमांव शहाबुद्दीनपुर, थाना शिवपुर वाराणसी की आराजी नम्बर 167 में वादी मुकदमा की माँ श्रीमती विमला देवी पत्नी भुल्लन यादव द्वारा 2610 वर्गफीट भूमि का तथाकथित बैनामा कराया गया है और प्रतिफल के रूप में सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किये बगैर बार बार कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में कमलेश कुमार सिंह उपरोक्त द्वारा एक सिविल वाद संख्या 1722/2025 न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) कोर्ट नं0 3, वाराणसी में दाखिल किया गया जो लम्बित है। जिससे वादी मुकदमा नाराज है और बार बार एनेकेन प्रकारेण अपने उक्त विवादित प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास करता रहता है। प्रार्थीगण वादी मुकदमा को मना करते है जिससे वह प्रार्थीगण से भी रंजिश रखता है। उपरोक्त भूमि विवाद की रंजिश के कारण दिनांक 24. 05.2026 को वादी मुकदमा अरविन्द यादव द्वारा नाजायज गोल बनाकर हथियार एवं लाठी, डण्डा, राड से लैश होकर उपरोक्त आराजी नं0 167 पर कब्जा करने की नियत से 10. 30 बजे सुबह ढाबा बोल दिया गया। जिसका कमलेश एवं उनके परिवार द्वारा विरोध किया गया तब वादी अरविन्द यादव द्वारा झूठी मारपीट की घटना दिखाकर अपने राजनैतिक प्रभाव का प्रयोग करते हुए थाना शिवपुर पर दबाव बनाकर यह झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया है और पुलिस से मिलकर कभी भी आवेदकगण को गिरफ्तार कर उन्हे मार पीट सकते है। वादी अरविन्द यादव द्वारा अपने साथ कुछ आवांछनीय आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो का गोल बनाकर प्रार्थीगण के परिवार के निर्दोष लोंगो को बीच बाजार में घेरमारकर पकड़ लिया जा रहा है और उन्हे बुरी तरह से मारपीट कर शिवपुर 1 पुलिस को अपराधी के रूप में सौंप दिया गया। इसी क्रम में दिनांक 26.05.2026 को दिन में लगभग 3.00 बजे जब प्रार्थीगण शिवपुर बाजार में थे तब वादी मुकदमा अरविन्द यादव औरा हुण्डई कार (सफेद रंग) से 6-7 साथियों के साथ पहुंच गया और प्रार्थीगण को बुरी तरह से मारते पीटते गाली गुप्ता जान माल की धमकी देते हुए जबरजस्ती गाड़ी में बैठा लिया और प्रार्थीगण के पास पड़े सात हजार रूपये, सोने की चेन और अंगूठी छीन लिया तथा शिवपुर थाने में ले जाकर प्रार्थीगण को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस पर दबाव बनाकर प्रार्थीगण का चालान करवा दिया गया और प्रार्थीगण को मारने पीटने और पुलिस के हवाले करने के लिए लगातार तलाश कर रहे हैं। दिनांक 26.05.2026 को अनिल सिंह पुत्र कमलेश सिंह पैरवी के लिए जब कचहरी पहुंचे तब अरविन्द यादव द्वारा अपने 8-10 आवांछनीय साथियों के साथ उन्हें पकड़कर 1 कचहरी में बुरी तरह से मारा पीटा गया और काफी देर तक कचहरी में उन्हें अपने परिरोध में रखा गया जब प्रार्थीगण को सूचना मिली तब प्रार्थीगण द्वारा 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना दी गयी तब थाना कैण्ट की पुलिस और 112 नम्बर की टीम की सहयोग से अनिल सिंह को पकड़कर थाना शिवपुर के हवाले किया गया और दबाव बनाकर उनका चालान करवा दिया गया। उपरोक्त दोनो घटनाओ का विडियो फुटेज और अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त भरत सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह घटना के समय अपने व्यापारिक कार्य के सिलसिले में बिहार गया हुआ था और घटना के समय मौके पर उपस्थित नही था परन्तु वादी मुकदमा द्वारा जानबूझकर पूरे परिवार को फसाने की नियत से उसका नाम घटना में शामिल होना बताया है और उसे मारपीट कर जबरदस्ती पुलिस के हवाले कर दिया गया है और गोल बनाकर प्रार्थीगण को ढूँढा जा रहा है। वादी मुकदमा द्वारा बार बार अपने आवांछनीय दोस्तो के साथ मिलकर प्रार्थीगण के परिवार के लोगो पर दबाव बनाया जा रहा है और मौके पर पहुंचकर

प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थीगण के परिवार की महिलाएँ अत्यधिक डरी हुई है और किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। क्योंकि प्रार्थीगण के अलावा उनके परिवार की देखरेख करने वाला अन्य कोई भी नहीं है और प्रार्थीगण अपनी गिरफ्तारी के भय से अपना काम नही कर पा रहे हैं। वादी द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी पकड़कर पुलिस के हवाले किया जा सकता है। उपरोक्त अभिवचन करते हुए याचना की गयी है कि उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2179/2026 में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीगण उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त हैं और उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मूल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351 (3), 109(1) बी०एन०एस० थाना शिवपुर जनपद वाराणसी दिनांक 03.06.2026 को प्रस्तुत किया जा चुका है जो निस्तारण हेतु लम्बित है। विवेचक द्वारा दिनांक 18.06.2026 को सम्बन्धित अपराध संख्या में धारा 3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। जिसमें विवेचना प्रचलित है। प्रार्थीगण का वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर धारा 3(5) बी०एन०एस० के बढ़ोत्तरी करते हुए उसका निस्तारण किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है। उपरोक्त अभिवचन करते हुए याचना की गयी है कि उक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो प्रति को संलग्न की गयी है।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, ऐसे में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। संबंधित थाने द्वारा मामले से संबंधित आख्या प्रस्तुत की गयी है, जो पत्रावलित है।

7. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त रवि सिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है तथा अन्य अभियुक्तगण अमर सिंह उर्फ टमाटर तथा महेन्द्र सिंह का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्तगण पर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा व चोटहिल श्रीनाम शुक्ला को मारपीट, गाली-गलौज जान से मारने की धमकी देने व लोहे की रॉड तथा फरसे से हमला कर जान से मारने का प्रयास करने का अभियोग है। चोटहिल श्रीनाथ शुक्ला की चिकित्सीय जांच आख्या से स्पष्ट है कि चोटहिल को कुल 12 चोटें आयी हैं, जिसका विवरण निम्मनवत है- **1.** LACERATED WOUND 4CM X 1CM BONE DEEP OVER RIGHT PARIETAL AREA OF SCALP, TCM FROM RIGHT EAR PINNA, MARGINS IRREGULAR, RED IN COLOR, BLOOD OOZING PRESENT. **2.** CONTUSION 15CM X 2CM ON RIGHT DORSAL ARM STARTING FROM RIGHT SHOULDER RED IN COLOR.

3. MULTIPLE LINEAR ABRASION 4CM X 2CM ON RIGHT LOWER, DORSAL ARM SCM FROM RIGHT ELBOW JOINT RED IN COLOR. **4.** MULTIPLE CONTUSION 3CM X 7CM OVER RIGHT DORSAL FOREARM, SCM AWAY FROM RIGHT ELBOW, RED IN COLOR. **5.** ABRASION 3CM X 1CM OVER RIGHT DORSAL FOREARM 7CM AWAY FROM RIGHT WRIST JOINT RED IN COLOR. **6.** CONTUSION 25CM X 3CM OVER LEFT DORSAL ARM STARTING FROM LEFT SHOULDER RED IN COLOR. **7.** CONTUSION 7CM X 2.5CM OVER LEFT DORSAL, FOREARM JUST BELOW LEFT ELBOW RED IN COLOR. **8.** MULTIPLE OVERLAPPED LINEAR CONTUSIONS 30CM X 19CM OVER LEFT SIDE OF BACK RID IN COLOR. **9.** MULTIPLE CONTUSION 15CM X 11CM OVER RIGHT LOWER BACK JUST BELOW RIGHT ILIAC CREST RED IN COLOR. **10.** CONTUSION 7CM X 2CM OVER LEFT CALF JUST BELOW LEFT KNEE. **11.** TRAUMATIC SWELLING 6CM X 7CM OVER LATERAL SIDE OF LEFT ANKLE. **12.** CONTUSION JOM X JOM OVER MEDIAL SIDE OF RIGHT KNEE RED IN COLOR.

इनमें से चोट संख्या 01, 07 तथा 11 को छोड़कर सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं, जो कठोर व कुंद धारदार से आना कहा गया है। चोट संख्या 01 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल को वह चोट सिर की पराइटल बोन पर कठोर व कुंद हथियार द्वारा बार करने से आयी हैं, जो प्राण घातक प्रकृति की है। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। घटना में प्रयुक्त हथियार अभी बरामद नहीं किया जा सका है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। पक्षों के मध्य पूर्व से भूमी को लेकर दीवानी वाद लम्बित है। मामले के तथ्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह वाद मात्र अभियुक्तगण की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से फर्जी आधारों पर दर्ज कराया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रवि सिंह, 2. अमर सिंह उर्फ टमाटर** तथा **3. महेन्द्र सिंह** के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1852/2026 तथा 2179/2026, मु.अ.सं. 226/2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 191(2), 352, 351(3), 109(1) बी०एन०एस० तथा धारा–3(5) बी०एन०एस०, थाना शिवपुर, जनपद–वाराणसी के प्रकरण में **निरस्त** किया जाता है।

(श्रीमती रचना सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
न्यायालय संख्या–02, वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1644

रितिक कुमार (आशुलिपिक)